दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 12 अगस्त, 2024

आप.वि.वा. 3362/2024 एवं आप.वि.आ. 12953/2024

श्री संदीप विनोदकुमार पटेल और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री त्रिदीप पेस, अधिवक्ता (वीसी द्वारा)

सुश्री देविका मोहन, अधिवक्ता

बनाम

एस.टी.सी.आई. फाइनैंस लिमिटेड, और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री विनीता ससिधरन, अधिवक्ता

आप.वि.वा. 4859/2024 एवं आप.वि.आ. 18458/2024

श्री संदीप विनोदकुमार पटेल और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री त्रिदीप पेस, अधिवक्ता (वीसी द्वारा)

सुश्री देविका मोहन, अधिवक्ता

बनाम

एस.टी.सी.आई. फाइनैंस लिमिटेड और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री विनीता ससिधरन, अधिवक्ता

आप.वि.वा. 4862/2024 एवं आप.वि.आ. 18470/2024

श्री संदीप विनोदकुमार पटेल और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री त्रिदीप पेस, अधिवक्ता (वीसी द्वारा)

सुश्री देविका मोहन, अधिवक्ता

बनाम

एस.टी.सी.आई. फाइनैंस लिमिटेड और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री विनीता ससिधरन, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

<u>न्या. अमित महाजन</u>

1. वर्तमान याचिकाएं सीसी संख्या 163318/2023 में दिनांक 18.01.2024, सीसी संख्या 7054/2023 में दिनांक 07.02.2024 और सीसी संख्या 10565/2023 में दिनांक 07.02.2024 के समन आदेशों को अभिखंडित करने की मांग करते हुए दायर की गई हैं। याचीगण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 ('**एनआई एक्ट**') की धारा 138 के सहपठित एनआई अधिनियम की धारा 141/142 के तहत दायर उपरोक्त शिकायत मामलों को अभिखंडित करने की परिणामी राहत की भी मांग कर रहे हैं।

2. शिकायतें यह आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थीं कि सद्भाव के प्रबंधन ने याचीगण के साथ मिलकर प्रत्यर्थी कंपनी/एसटीसीआई से 50 करोड़ रुपये का

कॉर्पोरेट ऋण प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था। यह आरोप है कि 30.03.2021 को, ऋण सुविधा समझौते निष्पादित किए गए और 31.03.2021 को सद्भाव को 50 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसके बाद ब्याज के भुगतान और मूल ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को उत्तर दिनांकित चेक सौंपे गए।

3. यह आरोप है कि धन निकासी हेतु चेक प्रस्तुत किए जाने पर, उन्हें अपर्याप्त निधि टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। संबंधित ऋण समझौतों के तहत अनादृत चेक के लिए शिकायतकर्ता द्वारा अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं।

4. यह विवादित नहीं है कि याचीगण अभियुक्त कंपनी में स्वतंत्र निदेशक थे और इसलिए, उन्हें एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। याचीगण ने कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल अभियुक्त कंपनी के फॉर्म 32 के रूप में अभियोग योग्य सामग्री अभिलेख पर रखी है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि याचीगण को स्वतंत्र अतिरिक्त निदेशक की हैसियत से नियुक्त किया गया था और वे गैर-कार्यकारी निदेशक थे।

5. याचीगण को वर्तमान मामले में एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत फंसाने की मांग की गई है। एनआई अधिनियम की धारा 141 इस प्रकार है:

> ***141. कंपनियों द्वारा अपराध***
> *(1) यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :*
> *परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी :*
> *परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम में कोई पद धारण करने या नियोजन में रहने के कारण किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वहां वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन का भागी नहीं होगा ।]*
>
> *(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।*
> *स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -*

(क) कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है; और
(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।"

6. एनआई अधिनियम की धारा 141 के अनुसार, किसी व्यक्ति को कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यदि वह संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

7. प्रत्यर्थी ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि याचीगण स्वतंत्र निदेशक हैं।

8. *माननीय शीर्ष न्यायालय ने* ***सुनीता पलिता बनाम पंचमी स्टोन क्वारी: (2022) 10 एससीसी 152*** *के मामले में, कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थीगण के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138/141 के तहत कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया, जो अभियुक्त कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशक थे। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:*

41. *किसी कंपनी का निदेशक, जो प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार नहीं था, उन प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होगा... <u>निदेशकों, जैसे निदेशक (कार्मिक), निदेशक (मानव संसाधन विकास) आदि को, जिनका चेक जारी करने या उसके अनादर से कोई संबंध भी नहीं है, केवल उनके पदनाम के कारण एनआई अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही में घसीटना न्याय का उपहास होगा।</u>*

42. *..... अभिलेख पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये अपीलार्थीगण कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशक थे। जैसा कि इस न्यायालय ने पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 16 एससीसी 1: (2015) 3 एससीसी (सिविल) 384: (2015) 3 एससीसी (आप.) 378] में माना है कि एक गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों या इसके व्यवसाय के संचालन में शामिल नहीं होता है। ऐसा निदेशक किसी भी तरह से अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है।* ***इसके अतिरिक्त, जब कंपनी के किसी निदेशक, जो अनादरित चेक का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है, तो शिकायत में दिए गए तर्क को प्रमाणित करने के लिए अभिवचन में विशिष्ट कथन किए जाने चाहिए, कि ऐसा निदेशक कंपनी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, जब तक कि ऐसा निदेशक नामित प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक न हो, जो स्पष्ट रूप से कंपनी और/या उसके व्यवसाय और मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।***

44.... *उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति अभियुक्त कंपनी के सम्पूर्ण व्यवसाय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी थे, तथा उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि शिकायत में दिए गए कथन एनआई अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे।*

45. *जैसा कि इस न्यायालय ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल [नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल, (2010) 3 एससीसी 330: (2010) 1 एससीसी (सिविल) 677: (2010) 2 एससीसी (आप.) 1113] में अभिनिर्धारित किया गया है, जिसे पूजा रविंदर देवीदासनी बनाम महाराष्ट्र राज्य [पूजा रविंदर देवीदासनी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 16 एससीसी 1: (2015) 3 एससीसी (सिविल) 384: (2015) 3 एससीसी (आप.) 378] में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है, किसी अभियुक्त कंपनी के सभी निदेशकों को इस बयान के आधार पर कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं, बिना*

किसी अतिरिक्त बात के फंसाना, एनआई अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

46. *किसी भी स्थिति में अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट न देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता, जब कंपनी ने एक प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई थी। जैसा कि इस न्यायालय ने पेप्सी फूड्स मजिस्ट्रेट [पेप्सी लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998) 5 एससीसी 749: 1998 एससीसी (आप.) 1400] में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन करने का सहारा स्वाभाविक रूप से नहीं लिया जा सकता है और आदेश में विवेक का प्रयोग दर्शाया जाना चाहिए।*

(जोर दिया गया)

9. ऊपर उल्लिखित उदाहरणों से, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को, केवल यह कहकर कि वह उस प्रासंगिक समय पर अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था जब अपराध किया गया था, एनआई अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

10. इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशक थे और शिकायतों में इस बात, कि याचीगण की सक्रिय भूमिका क्या थी तथा वे किस प्रकार अपराध के लिए दोषी या जिम्मेदार थे, की पुष्टि हेतु आवश्यक कथनों का अभाव है अतः इस न्यायालय का मत है कि कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। वर्तमान मामला

दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है।

11. वर्तमान याचिकाओं को, उस सीमा तक, अनुमति दी जाती है और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत संख्या 16318/2023, 7054/2023 और 10565/2023, और इससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाहियां याचीगण के लिए अभिखंडित की जाती हैं।

12. वर्तमान याचिकाओं का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

13. इस आदेश की एक प्रति सभी मामलों में रखी जाए।

न्या. अमित महाजन

12 अगस्त, 2024/ *'केडीके'*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*